


तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व मारी  
अदालत जो हुकम  
की तारीख से जारी

शिवरत्न नाम के प्रार्थना पत्र में प्रार्थना  
में आचार्यजी, पेन कार्ड पेश किया  
जिनमें प्रार्थी का नाम शिवरत्न  
पारीठ पुत्र बलरामलाल पारीठ अंडित  
है प्रार्थी का राजस्व जमाकरी के  
दर्ज नाम शिवरत्न के स्थान पर  
शिवरत्न कवारा चाला है अं  
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया  
जता है और तहसीलदार इन्हीं  
को आदेशित किया जाता है कि  
जमाकरी सम्वत् 2071-74 में दर्ज  
स्वत्व संख्या 28 ख.ने. 1244  
में दर्ज प्रार्थी का नाम शिवरत्न  
के स्थान शिवरत्न दर्ज राजस्वक  
रिपोर्ट दिया जाने पर प्रार्थी के  
शुमार खान नम्बर से कात हो साबित  
नफर हो।


निर्णय खुले आदालत में सुनाया  
गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली (दौक)

29/8/2020

अभी प्रार्थी के उप. होकर प्र. पत्र  
का धारा 151 व 152 का कि तदनु  
पेक्षा कर पारित करिषा से संशोधन  
करने लखे पेक्षा किया

दिने गये, प्रार्थनी तदनु के करिषा



नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुकम  
तामिल में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुकम  
की तामिल में जारी हुए

आये. प्रार्थी के प्रा.पत्र के अनुसार  
दिनांक 28/7/23 को निर्दिष्ट पारित  
क्रिया तथा जिसमें सहमत हो करिशा  
में ख.नं. 1240 रकम 0.5 है, में 1/2  
हिस्सा करिशा में लिखने से पूरा  
तथा जिसका संशोधन कर ख.नं.  
1240 रकम 0.5 है कड़े शांति  
करिशा 84 नए संशोधित करिशा  
पारित क्रिये जाते ही प्रार्थी वकील  
आये. प्रार्थी ने अपनी बर्त  
में प्रा.पत्र के तथ्यों को ही कथन  
किया।

पत्रावली के निर्दिष्ट दिनांक 28/7/23  
को कथनोक्त क्रिया सहमत हो करिशा  
1 निर्दिष्ट दिनांक में ख.नं. 1240 रकम  
0.5 है लिखने से यह तथा जिसमें  
कुवत्त क्रिया जाता उचित ही

कतः संशोधित करिशा 84  
प्रकार है. जमाक-ही संख्या 2071-74  
के खाल संख्या 28 ख.नं. 1240 रकम 1.4  
खाल संख्या 29 ख.नं. 1240 रकम  
0.05 है जे.मु.पारि में दर्ज प्रार्थी का  
नाम शिवलाल के स्थान पर शिवरत्न  
दर्ज करने हेतु तदनुसार इसी को  
अनुमत क्रिया जानी

पत्रावली पुनः अजिप्त धारण

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली (टी.क.)